न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	जयराम बनाम प्रभू मु.नं. 32 / 20 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा	

2021 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में अंकित तथ्यों के अनुसार व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के अनुसार न्यायालय के समक्ष प्रार्थी ने जरिये इकरारनामा सम्वत 2036 में प्रश्नगत वादग्रस्त भूमि ख0नं0 44 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा ख0नं0 50 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 187 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 234 / 203 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम नौरंगपुरा के 1 / 2 हिस्से को क्रय करना तथा क्रय दिनांक से काबिज होकर काश्त करना अंकित किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस के दौरान अपनी लिखित बहस में कथन किया कि प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार कब्जा काश्त नही है तथा इकरारनामा के आधार पर किसी प्रकार के हक अधिकार प्रदत्त नही होते है। कानूनन रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता है। दौरान ऐ बहस वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराया व वकील प्रार्थी द्वारा अपने बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किऐ–

1. डी.एन.जे. 2011 (1) राज0 पेज 293 महेश चंद बनाम सत्यनारायण।
2. डी.एन.जे. 2013 (4) राज0 पेज 1488 मनोज नागपाल बनाम श्रीमति अर्चना खतूरिया।
3. डी.एन.जे. 2010 (2) राज0 पेज 1028 साधना सक्सेना बनाम कन्हैयालाल।
4. डी.एन.जे. 2012 (3) राज0 पेज 1529 बरकत खान बनाम शिमला।
5. डी.एन.जे. 2013 (1) राज0 पेज 170 रामकिशोर बनाम मदनलाल।

वकील अप्रार्थी द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

1. आर.आर.टी. 2002 (1) पेज 443 ।
2. आर.एल.डब्लयू 2007 (4) के पेज 2900।
3. सी.जे.सिविल राज0 2016 (2) पेज 963।
4. सी.जे.सिविल राज0 2016 (1) ।
5. आर.आर.टी. 2018 (2) पेज 1202।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की लिखित बहस व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान मनन एवं अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व दस्तावेजों का अध्यन किया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जिससे उसका कब्जा होना

साबित होता हो। अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में न्यायालय का 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को साबित करने का प्रभार प्रार्थीगण पर है–

1. प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थी ने ईकरारनामा संवत 2036 के आधार पर प्रस्तुत किया है। ईकरारनामें की दिनांक से प्रश्नगत भूमि पर कब्जा होना बताया गया है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार नही है। कानूनन रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता है। प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।
2. सुविधा का संतुलन– प्रस्तुत प्रकरण इकरारनामा अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्पड के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का वाद अथवा प्रार्थना पत्र नही सुना जा सकता है। इसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को ह ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।
3. अपूर्णय क्षति अप्रार्थी रिकॉर्डेड काबिज काश्तकार है। कानूनन रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार को किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता है। अपूर्णय क्षति प्रार्थी को न होकर अप्रार्थी को कारित होगी। बिंदु संख्या 3 अपूर्णय क्षति होगी। इसलिए बिंदु संख्या 3 अपूर्णय क्षति प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है।
4. न्यायालय को ईकरारनामें के आधार पर रिकॉडेड खातेदार काश्तकार प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी न्यायालय के समक्ष साबित करने में असमक्ष रहा है। जो पत्रावली का अवलोकन करने से भी स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है। एवं सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है।

आदेश

अतः प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश आज दिनांक 01.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सरिता मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा